मुख्य कारण अन्धाधुन्ध वाहन चलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन, तेज गति, ड्राइवरों की थकान, बसों में अधिक सवारियां होना है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

दिल्ली में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय

1. परिवहन विभाग, दिल्ली ने वैज्ञानिक विधि से चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया है।

2. ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

3. दिल्ली पुलिस ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(i) यातायात नियमों और विनियमों का सख्ती से अनुपालन जिसमें परमिटों का निलम्बन किया जाना शामिल है।

(ii) अंधाधुन्ध और लापरवाही से वाहन चलाने, लाइसेंस के बगैर वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने और लाल बत्ती पार करने के विरुद्ध विशेष अभियान चलाना।

(iii) नोटिस जारी करके उल्लंघन कर्त्ताओं का नियमित अभियोजन।

(iv) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में यातायात संकेत/ब्लिंकर लगाना।

(v) दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में अधिक यातायात पुलिस कर्मियों की तैनाती।

(vi) अन्धाधुन्ध वाहन चलाने वाले ड्राइवरों की गिरफ्तारी।

(vii) अत्याधुनिक उपकरण अर्थात् एल्कोमीटर और रडार गन से अभियोजन।

(viii) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए विभिन्न स्थलों पर "चल प्रदर्शन वैन" ले जाना।

(ix) सड़क सुरक्षा संबंधी साहित्य का वितरण।

Discussion with WTO Group for Trade in Telecommunications

1705. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the trade in basic telecommunication services is being discussed in the WTO group;

(b) whether it is also a fact that these discussions are supposed to be concluded only by the end of April 1996;

(c) if so, whether it is a fact that some of the concessions given to foreign telecom companies in the basic services imply a squandering of negotiating advantage for the Indian team which is engaged in the WTO process; and

(d) if so, the details of the provisions in the draft which is being discussed on issues like foreign equity, security parametres, nature of regulatory authority etc.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir

(c) No, Sir.

(d) Does not arise in view of (C).

Sending Mail Through State Transport Buses in Maharshtra

1706. SHRI N. GIRI PRASAD: Will the minister of COMMUNICATIONS be pleased to state.

(a) the total number of State Transport Buses in Maharashtra being used to send Mail every day;

(b) whether the State Transport Buses have announced to have their own Parcel Scheme; if so, the possible difficulties to use the State Transport Buses from Nagpur, Wardha to Aurangabad, Jalna and Nanded; and

(c) how many Transport Buses are used for special post from Nagpur to various towns in Maharashtra?

THE MINISTER OF STATE OF THE

MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) There are 3017 State Transport Buses in Maharashtra which are used to send mails every day.

(b) Yes, Sir. State Transport Buses have their own parcel Scheme. But there is no difficulty in using such buses for conveyance of mails. The mails are conveyed from Nagpur, Wardha to Aurangabad, Jalna and Nanded in a combination of transit sections functioning in trains and State Transport buses.

(c) No State Transport Bus is used from Nagpur for conveyance of specialised services like speed post mails. Such buses are used only for conveyance of other mails.

गुजरात में डाक और तारघरों का खोला जाना

1707. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात के कच्छ जिले में कितनी ग्राम पंचायतों में डाक और तारघर खोले जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार उक्त जिले में कितनी ग्राम पंचायतों में डाक और तारघर की सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कच्छ जिले के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में डाक और तारघर खोलने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) इतनी बड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन किस प्रकार जुटाये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस जिले में सभी गांवों में डाक और तारघर की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात के कच्छ जिले की ग्राम पंचायतों में डाक व तारघर खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) गुजरात के कच्छ जिले की ऐसी ग्राम पंचायतों की संख्या, जिनमें आज की तारीख तक डाक व तार सुविधाएं उपलब्ध है, 44 है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान कच्छ जिले के विभिन्न गांवों में डाक व तारघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ङ) **डाकघर:** कच्छ जिले के सभी गांवों में डाकघर खोलने की कोई योजना नहीं है। सरकार का उद्देश्य निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार गांवों में डाकघर खोलना है बशर्ते कि दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें।

तारघर: सभी गांवों में तार सुविधा उपलब्ध कराने की विभाग की कोई नीति नहीं है क्योंकि यह सुविधा केवल तभी प्रदान की जाती है जब निर्धारित मानदंडों और अनुमानित तार परियात के आधार पर इसका औचित्य बनता हो।

Delay in Delivery of Letters

1708 SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the delivery of letters is delayed at destination itself for more than two days; and

(b) what steps are being taken for delivery of letters on the next day in cities of each of the States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUINICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) Norms to assess the efficiency of mail services with a view to take remedial measures have been laid down which are as follows:—

(i) PIN-coded letters posted in Metro cities namely Delhi, Bombay, Calcutta, Madras, Hyderabad and Bangalore and meant for delivery in another Metro city are to be delivered within 48 hours after the day of posting.

(ii) PIN-coded letters between Delhi and State Capitals other than the Metro cities mentioned at (i) above are to be delivered within 48 to 72 hours after the day of posting.

(iii) Letters between cities connected by air flights, other than those